तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म ता...

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 70/2016 हंसाराम कवीरा बनाम. नेनाराम कवीरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.1955

दिनांक 30.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–तखतगढ में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय दिलाने हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रस्नगत् मामले में गत् आदेश तालिका दिनांक 25.10.2016 के अनुसार सरहद मौजा तखतगढ तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 933 रकबा 3.86 हेक्टर से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को आगामी आदेश तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, के बारे में वाद–विषयक स्थिति पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि उल्लेखित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 67/2016 के निस्तारण होने तक पुख्ता करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा तखतगढ तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 933 रकबा 3.86 हेक्टर से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 67/2016 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–तखतगढ में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 67/2016 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)